[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 91 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर , 2018

सा.का.नि. _________(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, एतदद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिसों का न्याय निर्णयन करने के लिए मामलों को सौपने के उद्देश्य से उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

[फा. स. 450/150/2017- सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)